



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 458]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 17, 2017/माघ 28, 1938

No. 458]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 17, 2017/MAGHA 28, 1938

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2017

का.आ. 510(अ).— केंद्रीय सरकार, पशु-धन आयात अधिनियम, 1898 (1898 का 9) की धारा 3 की उप-धारा (1) और धारा 3क के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, (ii) में प्रकाशित कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार (पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग) के तारीख 8 जुलाई, 2016 की अधिसूचना का.आ. 2337 (अ) में और संशोधन करने के लिए यह अधिसूचना जारी करती है, अर्थात्,-

2. उक्त अधिसूचना में, पैरा 1 में धारा (घ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, नामत,-

1 (घ) “नाशकजीव या रोग मुक्त क्षेत्रों और निम्न नाशकजीव के क्षेत्रों या रोग व्याप्ति” से विश्व व्यापार संगठन समझौता के स्वच्छता और फाइटो स्वच्छता उपाय में यथा परिभाषित नाशकजीव या रोग मुक्त क्षेत्र तथा नाशकजीवों या रोगों की कमी वाले क्षेत्र अभिप्रेत हैं।

[फा. सं. 109-33/2009-व्यापार]

सागर मेहरा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : दिनांक 8.7.2016 की प्रधान अधिसूचना में अंतिम बार आशोधन दिनांक 19.9.2016 की अधिसूचना सं. 2998 (अ) द्वारा किया गया।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE**(Department of Animal Husbandry, Dairying And Fisheries)****NOTIFICATION**New Delhi, the 17th February, 2017

S. O. 510(E).— In exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 3 and 3A of the Livestock Importation Act, 1898 (9 of 1898), the Central Government hereby makes the following notification further to amend the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2337 (E), dated the 8th July, 2016 namely,-

In the said notification in paragraph 1 for clause (d) the following shall be substituted, namely,-

‘(d) Pest-or disease-free areas and areas of low pest or disease prevalence means the pest or disease free areas and areas of low pest or disease prevalence as defined in the World Trade Organization Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures’.

[F. No.109-33/2009-Trade]

SAGAR MEHRA, Jt. Secy.

Note: Last amendment in the Principal Notification No. S.O. 2337(E) dated 08.07.2016 was done on 19.09.2016 vide notification No. 2998(E).